

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक स्था./2/से.नि./6/2017/पार्ट-II/ 74782-924

दिनांक 13-3-2020

आदेश

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.1(6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप विभाग के निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पद नाम	जाति श्रेणी	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति तिथि	पदस्थान स्थान
1	श्री तुला राम	उप कारापाल	ओबीसी	14.05.1960	31.05.2020	उ.का. बयाना
2	श्री बच्चु कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सामान्य	30.06.1960	30.06.2020	के.का. जयपुर
3	श्री भंवरू खॉ	कारापाल	सामान्य	05.07.1960	31.07.2020	के.का. बीकानेर
4	श्री उदय कुमार माथुर	उप कारापाल	सामान्य	12.09.1960	30.09.2020	उ.का. फतेहपुर
5	श्री सुखनाथ	सहा.प्रशा. अधिकारी	एस.सी.	05.10.1960	31.10.2020	के.का. उदयपुर
6	श्री विष्णु दत्त टेलर	सहा.उद्योग. पर्यवेक्षक	ओबीसी	01.11.1960	31.10.2020	के.का. जोधपुर
7	श्री दामोदर प्रसाद शर्मा	उप कारापाल	सामान्य	04.11.1960	30.11.2020	उ.का. सांभर
8	श्री दयाशंकर फेरा	अति.प्रशा. अधिकारी	एस.टी.	25.12.1960	31.12.2020	रेंज कार्यालय उदयपुर
9	श्री श्रीराम मीणा	उप कारापाल	एस.टी.	02.12.1960	31.12.2020	के.का. अलवर
10	श्री मोती लाल मीणा	उप कारापाल	एस.टी.	01.02.1961	31.01.2021	वि.के.का. श्यालावास, दौसा
11	श्री चतर सिंह	उप कारापाल	सामान्य	04.02.1961	28.02.2021	उ.का. डीडवाना
12	श्री सत्यनारायण शर्मा	कारापाल	सामान्य	25.03.1961	31.03.2021	जि.का. टोंक

उक्त कर्मचारियों की जन्मतिथि व अन्य विवरण का सेवापुस्तिका से मिलान कर लिया जावे, किसी प्रकार के विरोधाभाष की स्थिति में तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करे। कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र यथा समय मुख्यालय से प्राप्त करें, जिसमें आपके यहां भी "जांच विचाराधीन है या नहीं का भी उल्लेख करें।

उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर राजकीय आवासगृह रिक्त कर दिया जावे यह सुनिश्चित किया जावे।

50
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा भिजवाई गई सूचनाओं के आधार पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं एवं यह मान लिया गया है कि वर्ष 2020-21 में आपके अधीन कारागृहों पर पदस्थापित किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जाने से शेष नहीं है, यदि आपके द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु कर्मचारियों के नाम नहीं भिजवाये गये हैं तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी से सूचित रहे। कर्मचारियों का कोई परिलाभ बकाया नहीं सुनिश्चित किया जावे व रिकार्ड पूर्ण कर जिन कार्मिकों की जन्म तिथि प्रमाणित नहीं है प्रमाणित कर कार्मिकों का पेंशन प्रकरण पूर्ण तैयार कर यथासमय पेंशन विभाग को भिजवाये। चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किये जाकर इस कार्यालय को सूचित किया जावे :-

1. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रेज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर/अजमेर/कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/उदयपुर ।
6. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
9. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
10. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर।
11. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
12. अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।
13. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण ।
14. सहा. प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
15. प्रभारी, स्थापना तृतीय/चतुर्थ/ए.सी.आर/कर्मचारी कल्याण न्यास एवं हितकारी निधि/ विभागीय जांच/विधि/सामान्य/भण्डार/भवन शाखा महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
16. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को वास्ते अपलोड हेतु।
17. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रभारी जेल।
18. निजी/रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर